

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्तता/उपलब्धता सम्बन्धी  
प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- ~~जनपद उत्तरकाशी से जमान् खाल्ड मोर मार्ग से~~  
~~जमदिड गांव लदूर गांव मोर मार्ग हेतु~~  
~~0.9895 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।~~

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना हेतु याचित भूमि 1.00  
हे० से कम यानि 1.00 हे० मात्र वन भूमि है, 1.00 हे० से कम वन भूमि होने के  
फलस्वरूप अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 56/7-1, (व०भूह०)  
66(75) 2008, दिनांक 22.03.2012 के अनुसार परियोजना पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण  
लागू न होने के आदेश प्राप्त हैं। जिस कारण परियोजना हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के  
लिये स्थल उपयुक्तता/उपलब्धता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन की आवश्यकता नहीं है।

  
Draughts Man  
Uttarkashi Forest Division

  
Divisional Forest Officer,  
Uttarkashi Forest Division  
UTTARKASHI  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
उत्तरकाशी वन प्रभाग,  
उत्तरकाशी।